

10.12.20

अभिलेख उपस्थापित। जाद में देनदार द्वारा
राशि जमा करने की कोई सूचना नहीं है।

अतः राशि वसूली हेतु देनदार के
विरुद्ध गिरफ्तारी कार्रवाई निर्गत करें। इनका
कार्यान्वयन संबंधित घाना प्रभाषी से करें।

नीलम पत्र चदा

02.01.21

अभिलेख उपस्थापित। शाखा प्रबंधक, आसराव
राज्य ग्रामीण बैंक, नारायणी के पत्रांक अस्कारी/07/
2020-21 दिनांक 24.12.2020 से प्रतिवेदित किया
है कि देनदार द्वारा सम्पूर्ण बकाया राशि कुल-
1,71,353.00 (एक लाख एक हजार तीन सौ
तिरपन) रुपये जमा कर दिया है तथा तृण लेखा
खरबा भी बन्द कर दिया गया है। कोर्ट की
फारिस किया गया।
अतः अभिलेख की कार्रवाई बन्द
किया जाता है।

नीलम पत्र चदा
अनुमंडल पत्राधिकारी
सह नीलम पत्र पत्राधिकारी
महागाय (सोडर)